

## प्रेस विज्ञप्ति थाना तिवारीपुर दिनांक 06-01-2021

महिलाओ तथा बच्चो के विरुद्ध होने वाले अपराध में तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश के क्रम में **पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर** के नेतृत्व तथा पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में दिनांक 31.12.2020 को थाना तिवारीपुर में पंजीकृत मु0अ0स0- 841/2020 धारा 363 भादवि की घटना जिसमें अभियुक्ता द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री साहिबा उम्र 17 वर्ष को परिजनो की विधिपूर्ण संरक्षता से बिना परिजनो की जानकारी व अनुमति के बहला फुसलाकर लेकर चले जाने के घटना को संज्ञान में लेते हुए घटना के अनावरण हेतु थाना तिवारीपुर की टीम गठित की गयी थी। सर्विलांस टीम के सहयोग व मुखबीर की सूचना पर थाना तिवारीपुर पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए मुकदमा उपरोक्त के नामजद अभियुक्ता मुस्कान पुत्री अहमद अली निवासी सिधारीपुर भिटनी मदरसा के पास थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर व मौके से अभियुक्त नीरज कुमार पुत्र संजीव कुमार निवासी सैनी कालोनी वार्ड नं0- 11 थाना किला जनपद पानीपत हरियाणा को रेलवे बस स्टैण्ड थाना कैंट जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार करते हुए अपहृता / पीडिता साहिबा को सकुशल बरामद कर लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### अपराध जिसमें गिरफ्तारी की गयी-

- 1- मु0अ0सं0 841/2020 धारा 363 भादवि थाना तिवारीपुर गोरखपुर।

### गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का विवरण:-

1. मुस्कान पुत्री अहमद अली निवासी सिधारीपुर भिटनी मदरसा के पास थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर।
2. नीरज कुमार पुत्र संजीव कुमार निवासी सैनी कालोनी वार्ड नं0- 11 थाना किला जनपद पानीपत हरियाणा।

### गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:-

रेलवे बस स्टैण्ड थाना कैंट जनपद गोरखपुर दिनांक 06.01.2021

### गिरफ्तारी टीम के सदस्यो का नाम:-

1. नि0 संदीप सिंह (प्रभारी निरीक्षक थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर )
2. उ0नि0 प्रदीप पाण्डेय ( थाना तिवारीपुर, गोरखपुर )
3. उ0नि0 भीम सिंह ( थाना तिवारीपुर, गोरखपुर )
4. का0 शिवेन्द्र यादव ( थाना तिवारीपुर, गोरखपुर )
5. का0 सविता मिश्रा ( थाना तिवारीपुर, गोरखपुर )